आदेश और क्रम संख्या	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
12.07.2013	न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा भूमि विवाद अपील वाद संख्या 277/2013 बीरबल बुधनगरिया– अपीलार्थी बनाम रामेश्वर बुधनगरिया प्रस्तुत वाद बीरबल बुधनगरिया पे0 स्व0–कामेश्वर बुधनगरिया, सा0 –बायसी, थाना –करजाईन, जिला– सुपौल द्वारा भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिवादी रामेश्वर बुधनगरिया पे0– स्व0 धर्मी बुधनगरिया सा0 –बायसी, थाना –करजाईन, जिला– सुपौल के विरूद्ध दाखिल किया गया है। अपील आवेदन में वादी का कथन है कि मौजा बायसी, अंचल– राधोपुर, पूराना खाता 40 खेसरा पुराना 386 नया खाता नं0–505 एवं 513 रकबा 2 कट्ठा 5 धूर एवं 1 कट्ठा 5 धूर निबंधित विक्रय पत्र दस्तावेज से दिनांक 07.12.87 एवं 24.12.87 एवं पूराना खाता संख्या 40 खेसरा संख्या 391 रकबा 1 कट्ठा 16 धूर भी वादी के पिता द्वारा अनिबंधित विक्रय दस्तावेज दिनांक 06.03.79 द्वारा धरमी बुधनगरिया पिता स्व0– भीखा बुधनगरिया से खरीदा था। उक्त जमीन क्रय के बाद वादी का दखल कब्जा है परन्तु प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि पर दावा/विवाद उत्पन्न करने के बाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बीरपुर के न्यायालय में बी0एल0डी0आर वाद संख्या 176/12 दायर करते हुए उन्हें स्वामित्व, दखल कब्जा घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा उक्त भूमि का बिना कोई जॉच कराये वाद खारीज कर दिया गया। वादी के विद्य अधिवक्ता का सूना प्रस्तुत वाद में निम्न न्यायालय में पारित आदेश का अवलोकन किया।	

निम्न न्यायालय में प्रतिवादी का कथन है कि खेसरा संख्या 386 की जमीन से उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन्हें खेसरा संख्या 391 की जमीन रकबा 1 कट्ठा 16 धुर पर शांतिपूर्ण कब्जा है। वादी द्वारा खेसरा संख्या 391 पर दावा किया जाना बिल्कुल नाजायज है। उक्त भूमि उनके पिता अधिकार वाद संख्या 36/1995 द्वारा सब जज मधेपुरा के न्यायालय से प्राप्त है। वादी द्वारा जो अनिबंधित दस्तावेज खेसरा संख्या 391 के निश्वत दाखिल किया है वह जाली है। उक्त दस्तावेज की मूल प्रति वादी से मांग किया जाय। वे किस स्टाम्प भेंडर से उक्त स्टाम्प की बिक्री वादी के पिता के हाथ किस तिथि को किया गया उसकी छाप स्पष्ट नहीं है। उक्त अनिबंधित दस्तावेज पूर्णतया जाल है, इस दस्तावेज के आधार वादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है।

निम्न न्यायालय द्वारा उक्त वाद में पारित आदेश में कहा गया है कि खेसरा संख्या 386 की जमीन वादी की है इस तथ्य से प्रतिवादी को भी इन्कार नहीं है। इस प्रकार खेसरा 386 की जमीन पर उभयपक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है। मुख्य विवाद खेसरा 391 को लेकर है। वादी द्वारा अनिबंधित एक रूपये के स्टाम्प पर तामिल दस्तावेज की छाया प्रति दाखिल किया गया। वादी द्वारा उक्त निबंधित दस्तावेज की मूल प्रति भी न्यायालय को नहीं दिखलाया गया। खेसरा 391 के संदर्भ में कोई जमाबन्दी भी खेसरा 391 के संदर्भ में कोई जमाबन्दी भी वादी को कायम नहीं है। दखल के संदर्भ में वादी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

वादीगण के अपील आवेदन पर इस न्यायालय में विचार हेतु पर्याप्त आधार नहीं है। अनिबंधित विकय दस्तावेज के आधार पर दावा नहीं किया जा सकता। अतएवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है। वर्णित स्थिति में वादीगण के अपील वाद को खारिज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

17/7/17

लेखापित एवं संशोधित

17/7/17

आयुक्त,
(पंकज कुमार)
कोशी प्रमंडल, सहरसा